कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा–प्रारं / नियु.प्रको. / नियु–2 / 982 / अ.भ. 2021–22 / ले–I / पात्रता / दस्ता.सत्या. / 2022 / दिनांक: 24.03.2022

विज्ञप्ति

अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत दस्तावेज सत्यापन के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को परिवेदना प्रस्तुत करने तथा दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को अन्तिम अवसर दिये जाने की सूचना

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत अध्यापक, लेवल–प्रथम (सामान्य शिक्षा / विशेष शिक्षा) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांकः 31.12.2021 को जारी विज्ञप्ति के तहत क्षेत्रवार / वर्गवार विज्ञापित पदों की दो गुणा अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन / पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किया जाकर दिनांकः 27.02.2022 को पदवार / नामवार सूचियां मय दस्तावेज सत्यापन हेतु आवंटित जिला तथा पदवार / वर्गवार कट–ऑफ मार्क्स विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in/elementary पर अपलोड की जाकर दिनांकः 11.03.2022 से 24.03.2022 तक https://rajshaladarpan.nic.in /newposting/ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्रता जांच की गई। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अथवा दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्रता जांच के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि :–

1. **दस्तावेज सत्यापन हेतु अन्तिम अवसर :–** उक्त अध्यापक सीधी भर्ती, 2021–22 अन्तर्गत दिनांकः 27.02.2022 को दस्तावेज सत्यापन तथा पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किये गये अभ्यर्थी जो निर्धारित तिथि 24.03.2022 तक दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी दिनांकः 25.03.2022 से 31.03.2022 तक सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवा सकते है। उक्त तिथि के पश्चात् दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति के बिन्दू संख्याः– 14.5 के अनुसार दस्तावेज सत्यापन का अवसर देने के बाद भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो बाद मे उसके दावे को स्वीकार नही किया जायेगा जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. **दस्तावेज सत्यापन उपरान्त पात्रता जांच के संबंध में :–** सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मु0), प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा दस्तावेत सत्यापन एवं पात्रता जांच के सम्बन्ध में अभ्यर्थी दिनांकः 31.03.2022 तक कार्यालय समय में निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में व्यक्तिशः उपस्थित होकर परिवेदना प्रस्तुत कर सकते है। परिवेदना के साथ दस्तावेज सत्यापन के समय सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मु0), प्रारम्भिक शिक्षा को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त परिवेदनाओं को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

(काना राम)
IAS
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राशि)
राजस्थान, बीकानेर